

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या- 19, बाराबंकी।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 26033/2026

UPBB040260402026

सरकार

बनाम

मो० हसनैन।

आदेश

दिनांक- 07.05.2026

मुकदमा अपराध संख्या- 473/2025, अन्तर्गत धारा- 296 भा०न्या०सं०, थाना- सफदरांज, जिला बाराबंकी के मामले में अभियुक्त मो० हसनैन द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है।

अभियुक्त का कथन है कि उक्त अभियोग में झूठा एवं गलत फंसाया गया है। वह पूर्णतया निर्दोष है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जाये।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा अपराध जमानतीय प्रकृति का होने का कथन किया गया है।

सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पर धारा- 296 भा०न्या०सं० का आक्षेप है। उक्त मामले में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त द्वारा 20,000/- (बीस हजार रुपये) की एक जमानत एवं इसी धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त किया जाये।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

न्यायालय संख्या-19, बाराबंकी।